न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 33/2024
निर्णय दिनांक : 30.04.2024
GCMS NO : 2024/46 दायर दिनांक – 20.02.2024

मोहम्मद युसूफ पुत्र नूर मोहम्मद जाति रंगरेज निवासी वार्ड नं. 32, लिलगरों की मस्जिद के पास, कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खसरा संख्या 21 तादादी 2.0990 हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/70 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा सख्या 353/218 तादादी 1.7323 हैक्टेयर, खसरा संख्या 354/218 तादादी 0.7334 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 4.6279 हैक्टेयर रोही ग्राम मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ में स्थित है जिसका वर्तमान खाता सख्या 5 है जिसमें वादी का नाम इसूब पुत्र नूरा उर्फ नूर मोहम्मद अंकित है।

वादगत खेत में वादी का नाम गलत चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम मोहम्मद युसूफ पुत्र नूर मोहम्मद है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम मोहम्मद युसूफ पुत्र नूर मोहम्मद अंकित है जो कि शुद्ध व सही है।

यह कि प्रार्थी को सरकारी [illegible] यथा क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने में परेशानियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:27 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वो अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाए।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम इसूब पुत्र नूरा उर्फ नूर मोहम्मद दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम मोहम्मद युसुफ पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज है। इसूब पुत्र नूरा उर्फ पूर मोहम्मद युसुफ दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद युसुफ पुत्र नूर मोहम्मद किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पास बुक्स की प्रति. तथा जन आधार कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम मोहम्मद युसूफ पुत्र नूर मोहम्मद अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 21 तादादी 2.0990 हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/70 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा सख्या 353/218 तादादी 1.7323 हैक्टेयर, खसरा संख्या 354/218 तादादी 0.7334 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 4.6279 हैक्टेयर रोही ग्राम मंगलवासी तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित में वादी का नाम इसूब पुत्र नूराउर्फनूरमोहम्मद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर मोहम्मद युसुफ पुत्र नूर मोहम्मद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक ३० .04..2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:27 IST
Reason: SelfAttested

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

मोहम्मद युसूफ बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 33 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री मोहनलाल बिरसु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 21 तादादी 2.0990 हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/70 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा सख्या 353/218 तादादी 1.7323 हैक्टेयर, खसरा संख्या 354/218 तादादी 0.7334 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 4.6279 हैक्टेयर रोही ग्राम मंगलवासी तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित में वादी का नाम इसूब पुत्र नूराउर्फनूरमोहम्मद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर मोहम्मद युसुफ पुत्र नूर मोहम्मद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख, वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ३० माह 04. 2024

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना [illegible] पर		
महनताना वकील			[illegible]ान		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमिश्नर			बाब[illegible]		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुत[illegible]क		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:27 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़